

न्यायालय :- सत्र न्यायाधीश, सत्र खण्ड भिण्ड (म.प्र.)

(समक्ष : तारकेश्वर सिंह)

सत्र प्रकरण क्रमांक 156 / 2013

संस्थापन दिनांक : 08.07.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र फूप  
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

1. हेमंत पाराशर पुत्र भरतलाल पाराशर उम्र 28 साल, निवासी छत्री कॉलोनी शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. राकेश पुत्र रामू धाकड़ उम्र 24 साल, निवासी ग्राम जलवासा पुलिस थाना बेड़ार, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

..... अभियुक्तगण

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिण्ड द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 446/13 (अपराध क्रमांक 11/2013) में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 17.06.2013 से उत्पन्न सत्र प्रकरण।

राज्य की ओर से :- श्री वीरेन्द्र सिंह भदौरिया (लोक अभियोजक)  
अभियुक्तगण की ओर से :- श्री गुलजार सिंह चौहान (एडवोकेट)

// / निर्णय // /

(आज दिनांक 28 जनवरी, 2017 को घोषित किया गया)

अभियुक्तगण पर दिनांक 16 व 17 जनवरी 2013 की दरमियानी रात में भिण्ड इटावा राजमार्ग पर निर्माणाधीन टोल टैक्स नाके के पास बीमा कंपनी को क्षति कारित करने के आशय से ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 को आग से जलाकर रिष्टि

कारित करने, कृष्ण कुमार तंवर द्वारा 16 टन रिफाईन ऑयल कीमती 12,35,973/रु. से न्यस्त होते हुये उक्त रिफाईन ऑयल का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग कारित करने और आपराधिक न्यास भंग के वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से साक्ष्य का विलोपन करने/मिथ्या सूचना देने का आरोप है, जो क्रमशः धारा 435, 406 एवं 201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय है।

**2.** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि कृष्ण कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद इंटर इंडिया रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड का संचालक और दयानंद जांगिड़ उसका ऐरिया मैनेजर है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि अभियुक्त हेमंत पाराशर ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 का पंजीकृत स्वामी और चालक है, अभियुक्त राकेश धाकड़ उक्त ट्रक पर क्लीनर का काम करता था। प्रकरण में यह तथ्य भी स्वीकृत है कि इंटर इंडिया रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, नीमच द्वारा अडानी विलमार लिमिटेड कंपनी का लगभग 16 टन फॉर्च्यून रिफाईन तेल कीमती लगभग तेरह लाख रुपये नीमच से बनारस परिवहन किये जाने हेतु ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 के चालक अभियुक्त हेमंत पाराशर को न्यस्त किया गया। दिनांक 17 जनवरी 2013 को अभियुक्त हेमंत पाराशर ने कृष्ण कुमार को फोन पर सूचना दिया कि उसका ट्रक नीम के पेड़ में टकरा जाने के कारण उसमें आग लग गई और आग लगने से ट्रक सहित उसमें रखा सारा फॉर्च्यून रिफाईन ऑयल जलकर नष्ट हो गया।

**3.** अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दयानंद जांगिड़, इंटर इंडिया रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, नीमच का ऐरिया मैनेजर है। दिनांक 18.01.2013 को शाम 07:30 बजे के लगभग इंटर इंडिया रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड के संचालक श्रीकृष्ण कुमार तंवर, गांधीधाम गुजरात ने उसे मोबाईल पर सूचना दिया कि ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 के वाहन चालक अभियुक्त हेमंत पाराशर द्वारा उसे सूचना दी गई है कि उक्त ट्रक में बिल्टी क्रमांक 28169 दिनांक 07.01.2013 के माध्यम से मै. अडानी विलमार लिमिटेड के इनवॉयस नंबर 10210703140 व बैच नंबर AESB21B006 व यू.पी. परमिट नंबर 3876124 के द्वारा 16 टन फॉर्च्यून ऑयल लोड करके ले जाया जा रहा था, ट्रक के पेड़ से टकराने से आग लगने के कारण जलकर नष्ट हो गया है। यह सूचना पाकर वह घटना स्थल फूप आया और घटना स्थल पर जाकर देखा तो ट्रक जला हुआ था, किन्तु वहाँ प्लास्टिक व फॉर्च्यून ऑयल के जलने के कोई अवशेष नहीं मिले थे। ट्रक के चालक हेमंत पाराशर ने ट्रक में रखा रिफाईन तेल के कार्टून फूप में अथवा अन्य कहीं जगह बेईमानी से छिपा दिया था और माल को पचाने के उद्देश्य से उसने ट्रक में आग

लगा दी, ताकि किसी को संदेह न हो। दयानंद जांगिड़ ने उपरोक्त आशय का लिखित आवेदन प्रदर्श पी.1 थाना फूप, जिला भिण्ड के थाना प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस लिखित आवेदन प्रदर्श पी.1 के आधार पर दिनांक 23.01.2013 को ट्रक चालक हेमंत पाराशर एवं क्लीनर राकेश धाकड़ के विरुद्ध धारा 435, 120बी, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के संबंध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया गया और अपराध का अन्वेषण प्रारंभ किया गया।

**3(अ).** दिनांक 23.01.2013 को घटना स्थल भिण्ड-इटावा रोड पर ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 जो अभियुक्त हेमंत पाराशर के नाम पंजीकृत था, को जली हुई हालत में, जिसका केवल ढांचा शेष था, जब्ती पत्र प्रदर्श पी.4 के द्वारा जब्त किया गया। ट्रक ले जाने की स्थिति में न होने के कारण उसे घटना स्थल पर ही रखा गया। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.11 तैयार किया गया और घटना स्थल से चार अलग अलग स्थानों से जले हुये अवशेष उठाकर अलग अलग पॉलीथिन में रखकर प्लास्टिक के डिब्बों में सीलबंद किया गया। उपनिरीक्षक एम.एस. जादौन द्वारा दिनांक 05.02.2013 को अभियुक्त राकेश धाकड़ और हेमंत पाराशर को ट्रांसपोर्ट नगर, ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया। उपनिरीक्षक एम.एस. जादौन ने दिनांक 05.02.2013 को ट्रांसपोर्ट नगर, ग्वालियर में अभियुक्त हेमंत पाराशर और अभियुक्त राकेश धाकड़ से पूछताछ की और उनका प्रकटन कथन अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम क्रमशः प्रदर्श पी.7 व 8 लेखबद्ध किया। अभियुक्त हेमंत पाराशर और राकेश धाकड़ द्वारा तारागंज स्थित वंटी शर्मा के मकान के कमरे से आठ जार फॉर्च्यून तेल के निकालकर दिये गये, जिन्हें जब्ती पत्र प्रदर्श पी.9 के द्वारा जब्त किया गया। अभियुक्तगण द्वारा बहोड़ापुर नवग्रह मंदिर में रखे कंबल से निकालकर पेश करने पर एक प्लास्टिक की पॉलीथिन में ढाई लाख रुपये पेश करने पर, जब्ती पत्र प्रदर्श पी.10 के द्वारा जब्त किया गया। घटना स्थल से जब्त जला हुआ अवशेष परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर प्रेषित किया गया, जहाँ से प्रतिवेदन प्रदर्श पी.14 प्राप्त हुआ। अन्वेषण पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिण्ड के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो उपार्पण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

**4.** अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार किया और विचारण का दावा किया। धारा 313 द.प्र.स. के अंतर्गत अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना अभिकथित करते हुये यह अभिवाक् किया कि दुर्घटना के कारण ट्रक एवं ट्रक में रखा सारा रिफाईन ऑयल जलकर राख हो गया। अभियुक्त हेमंत पाराशर ने धारा 315 द.प्र.स. के अंतर्गत का स्वयं

का परीक्षण बचाव साक्षी के रूप में कराया और ट्रक का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श डी. 1 एवं उसके द्वारा थाना पर दी गई सूचना की प्रतिलिपि प्रदर्श डी.2 अभिलेख पर प्रस्तुत किया।

5. प्रकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न उद्भूत होते हैं :-

1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 16 व 17 जनवरी 2013 की दरमियानी रात को भिण्ड-इटावा हाईवे पर निर्माणाधीन टोल टैक्स नाके के समीप बीमा कंपनी को नुकसान पहुंचाने के आशय से अपना ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 को आग से जलाकर नष्ट करके रिष्टि कारित किया ?
2. क्या अभियुक्तगण ने कृष्ण कुमार कंवर द्वारा उन्हें न्यस्त किया गया 16 टन रिफाईन तेल कीमती 12,35,973/रु. का दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया ?
3. क्या अभियुक्तगण ने स्वयं को आपराधिक न्यास भंग के वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से साक्ष्य का विलोपन किया अथवा मिथ्या सूचना दी ?

6. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोपों को प्रमाणित करने के लिए साक्षी दयानंद जांगिड़ (अ.सा.1), देवेन्द्र सिंह (अ.सा.2), कृष्ण कुमार (अ.सा.3), अमर सिंह (अ.सा.4), एम.एस. जादौन (अ.सा.5), विजय कुमार (अ.सा.6) और रामराज सिंह तोमर (अ.सा.7) का परीक्षण किया गया है।

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 :-

7. धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत दण्डनीय आपराधिक न्यास भंग का अपराध यह अपेक्षा करता है कि किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या संपत्ति पर अख्त्यार न्यस्त किया जाये और जिस व्यक्ति को संपत्ति न्यस्त की जाती, उसके द्वारा उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाये या अपने ही प्रयोग में संपरिवर्तित कर लिया जाये अथवा बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन किया जाये या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसा किया जाने को सहन किया जाये।



8. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि कृष्ण कुमार (अ.सा.3) इंटर इंडिया रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड का संचालक है, अभियुक्त हेमंत पाराशर ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 का पंजीकृत स्वामी और चालक एवं अभियुक्त राकेश धाकड़ उक्त ट्रक पर क्लीनर था। प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि अभियुक्त हेमंत पाराशर को बिल्टी क्रमांक 28169 दिनांक 07.01.2013 के माध्यम से मै. अडानी विलमार लिमिटेड के इनवॉयस नंबर 10210703140 व बैच नंबर AESB21B006 व यू.पी. परमिट नंबर 3876124 के द्वारा 16 टन फॉर्च्यून ऑयल नीमच से बनारस ले जाने के लिये न्यस्त किया गया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि दिनांक 17 जनवरी 2013 को अभियुक्त हेमंत पाराशर ने कृष्ण कुमार को फोन पर सूचना दिया कि उसका ट्रक नीम के पेड़ में टकरा जाने के कारण उसमें आग लग गई और आग लग जाने से ट्रक सहित उसमें रखा सामान जलकर नष्ट हो गया। उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों से यह तथ्य भलीभांति स्थापित है कि अभियुक्त हेमंत पाराशर और राकेश धाकड़ को दिनांक 07.01.2013 को 16 टन फॉर्च्यून रिफाईन तेल कीमती लगभग तेरह लाख रुपये नीमच से बनारस ले जाने के लिये न्यस्त किया गया था, जिसे अभियुक्त हेमंत पाराशर के स्वत्व के ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 में रखकर परिवहन किया जा रहा था और उस ट्रक का चालक अभियुक्त हेमंत पाराशर और क्लीनर राकेश धाकड़ था। यह भी स्पष्ट है कि उक्त रिफाईन तेल अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा।

9. इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि अभियुक्त हेमंत पाराशर ने दिनांक 17 जनवरी 2013 को कृष्ण कुमार को फोन पर सूचना दिया था कि उसका ट्रक नीम के पेड़ में टकरा जाने के कारण और आग लगने से सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। यदि अभियुक्त हेमंत पाराशर द्वारा दी गई सूचना सही है तो निश्चित रूप से अभियुक्तगण को अपराधिक न्यास भंग का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दयानंद जांगिड़ (अ.सा.1) के साक्ष्य से यह प्रकट है कि उसे कृष्ण कुमार (अ.सा.3) द्वारा इस बारे में दूरभाष पर सूचना दी गई थी कि अभियुक्त हेमंत पाराशर ने दिनांक 16 व 17 जनवरी 2013 की दरिमियानी रात में ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर उसमें लदे सामान के जलकर नष्ट हो जाने की बात कृष्ण कुमार को दूरभाष पर बताया था। दयानंद जांगिड़ (अ.सा.1) उक्त सूचना प्राप्त होने पर फूप आया और घटना स्थल पर जाकर देखा। इस साक्षी ने यह बताया कि उसने देखा था कि गाड़ी जली हुई थी, किन्तु रिफाईन तेल के जलने के अवशेष घटना स्थल पर नहीं दिखाई दे रहे थे। इस साक्षी ने थाना फूप में घटना की सूचना दी और लिखित आवेदन पत्र प्रदर्श पी.1 प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर प्रथम सूचना

प्रतिवेदन प्रदर्श पी.2 लेखबद्ध किया गया।

10. अन्वेषण के दौरान एम.एस. जादौन (अ.सा.5) ने दिनांक 23.01.2013 को घटना स्थल का नक्शा प्रदर्श पी.1 तैयार किया। इस साक्षी ने कथन किया है कि वह दिनांक 05.02.2013 को अभियुक्त हेमंत पाराशर एवं राकेश धाकड़ को गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी.5 व 6 के द्वारा गिरफ्तार किया था। इस साक्षी ने आगे यह कथन किया है कि उसने हेमंत पाराशर और राकेश धाकड़ से पूछताछ की थी और उनका कथन प्रदर्श पी.7 व 8 लेखबद्ध किया था। हेमंत पाराशर और राकेश धाकड़ की निशानदेही से उनके द्वारा पेश करने पर नवग्रह मंदिर में रखे कंबल से निकालकर पेश करने पर दो लाख पचास हजार रुपये नकद जब्ती पत्र प्रदर्श पी.10 के द्वारा जब्त किया था। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि अभियुक्त हेमंत पाराशर और अभियुक्त राकेश धाकड़ ने अपने प्रकटन कथन में बताया था कि उन्होंने रिफाईन तेल उदय सिंह चौहान को पांच लाख रुपये में विक्रय कर दिया था, जिसमें से ढाई लाख रुपया उन्हें प्राप्त हुआ था और ढाई लाख रुपया लेना शेष था। वही ढाई लाख रुपये अभियुक्तगण के पेश करने पर जब्ती पत्र प्रदर्श पी.10 के द्वारा जब्त किया गया था। इतनी बड़ी रकम अभियुक्तगण के आधिपत्य में होने के बारे में उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण ने उन्हें न्यस्त किया गया रिफाईन तेल का विक्रय कर दिया और इस प्रकार उन्होंने रिफाईन तेल का दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया।

11. एम.एस. जादौन (अ.सा.5) ने इस आशय का अभिसाक्ष्य दिया है कि दिनांक 06.02.2013 को थाना प्रभारी रामराज सिंह तोमर के अभियुक्त हेमंत पाराशर और राकेश धाकड़ से पूछताछ की थी और उनका मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.2-ए व 3 तैयार किया था। रामराज सिंह तोमर (अ.सा.7) ने कथन किया है कि उसने दिनांक 06.02.2013 को अभियुक्त राकेश धाकड़ और हेमंत पाराशर का कथन क्रमशः प्रदर्श पी.2ए व 3 लेखबद्ध किया था। प्रदर्श पी.2ए व प्रदर्श पी.3 में अभियुक्तगण ने यह बताया था कि कुछ फॉर्च्यून ऑयल के जार उन्होंने वंटी शर्मा के यहाँ तारागंज, ग्वालियर में रख दिया है। एम.एस. जादौन (अ.सा.5) ने इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि अभियुक्तगण ने वंटी शर्मा नाम के व्यक्ति के कमरे से निकालकर आठ जार फॉर्च्यून तेल पेश किया था, जिसे जब्ती पत्र प्रदर्श पी.9 के द्वारा जब्त किया गया था। साक्षी अमर सिंह (अ.सा.4) मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी.7 व 8 तथा जब्ती पत्र प्रदर्श पी.9 व 10 का साक्षी है। उसके द्वारा मेमोरेण्डम व जब्ती की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है, किन्तु उसने प्रदर्श पी.7, 8, 9 व 10

पर अपना हस्ताक्षर स्वीकार किया है। उसके द्वारा हस्ताक्षर स्वीकार किये जाने से एम.एस. जादौन (अ.सा.5) के साक्ष्य की संपुष्टि होती है। एम.एस. जादौन (अ.सा.5) के साक्ष्य में ऐसी कोई विसंगति नहीं आई है कि उसके कथन पर अविश्वास किया जा सके।

**12.** इस प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घटना की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी.1 दयानंद जांगिड़ (अ.सा.1) द्वारा थाना फूप में की गई, जिसके आधार पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी.2 दिनांक 23.01.2013 को पंजीबद्ध किया गया। फॉर्च्यून ऑयल के आठ जार अभियुक्तगण ने वंटी शर्मा के मकान से निकालकर पेश करने पर जब्ती पत्र प्रदर्श पी.9 के द्वारा दिनांक 08.02.2013 को जब्त किया गया। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी.2 में बैच क्रमांक AESB21B006 का रिफाईन ऑयल परिवहन हेतु अभियुक्तगण को न्यस्त किया गया था। अभियुक्तगण के पेश करने पर जब्ती पत्र प्रदर्श पी.9 के द्वारा फॉर्च्यून तेल के जो आठ जार जब्त किये गये हैं, उन पर बैच नंबर AESB21B006 अंकित था। बैच नंबर AESB21B006 का स्पष्ट उल्लेख प्रदर्श पी.9 में किया गया है। दोनों बैच नंबर एक समान हैं। यदि अभियुक्त के इस कथन में सत्यता होती कि उसका ट्रक नीम के पेड़ से टकरा जाने के कारण उसके ट्रक में रखा सारा फॉर्च्यून ऑयल जलकर नष्ट हो गया तब उनके द्वारा समान बैच नंबर का फॉर्च्यून रिफाईन ऑयल पेश नहीं किया जाता। उनकी सूचना पर उपरोक्त रिफाईन ऑयल के जार जब्त किया जाना इस तथ्य को स्पष्ट को दर्शित करता है कि अभियुक्तगण का यह कथन पूर्णतः असत्य है कि ट्रक व ट्रक में लदा संपूर्ण सामान दुर्घटनाग्रस्त होकर जलकर नष्ट हो गया।

**13.** यह स्वीकृत तथ्य है कि लगभग 16 टन फॉर्च्यून रिफाईन ऑयल अभियुक्तगण को नीमच से बनारस तक परिवहन किये जाने हेतु न्यस्त किया गया था और उक्त संपत्ति गंतव्य तक नहीं पहुंची। इसके विपरीत अभियुक्तगण की निशानदेही से जब्त ढाई लाख रुपये और आठ जार फॉर्च्यून ऑयल इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि अभियुक्तगण ने उन्हें न्यस्त फॉर्च्यून ऑयल का दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 प्रमाणित पाया जाता है।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 :-**

**14.** प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त हेमंत पाराशर ने कृष्ण कुमार

को दूरभाष पर सूचित किया था कि ट्रक फूप, जिला भिण्ड के आगे पेड़ से टकराकर जल गया है। ट्रक के जलकर नष्ट हो जाने के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है। एम.एस. जादौन (अ.सा.5) ने इस आशय का कथन किया है कि वह घटना स्थल से अलग अलग चार स्थानों से अलग अलग पॉलीथिन में अवशेष जब्त किया था और जब्ती पत्र प्रदर्श पी.12 बनाया था। घटना स्थल पर ट्रक क्रमांक M.P. 09 HF 7586 का केवल जला हुआ ढांचा था, जिसे जब्ती पत्र प्रदर्श पी.4 के द्वारा जब्त किया गया था। इस मामले में यह तथ्य स्पष्ट है कि इस तथ्य का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है कि अभियुक्तगण ने ट्रक को जलाकर नष्ट किया। अभियुक्त हेमंत पाराशर ने बचाव साक्षी क्रमांक 1 के रूप में अपना परीक्षण किया है। इसने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि दिनांक 16.01.2013 को रात्रि तीन बजे के लगभग बरही गांव के पास उसकी अचानक नींद लग गई थी। वायरिंग में आग लग जाने के कारण गाड़ी व उसमें लदा हुआ माल दोनों जलकर राख हो गये थे। इस साक्षी ने यह भी कहा है कि उसने थाना फूप में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था, जो प्रदर्श डी.2 है। साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्तगण की निशानदेही पर ढाई लाख रुपये बरामद किया गया। उक्त राशि फॉर्च्यून तेल विक्रय का प्रतिफल होना, उनके द्वारा बताया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही पर ही फॉर्च्यून तेल के आठ जार बरामद हुये, जिन पर अंकित बैच नंबर AESB21B006 वही बैच नंबर है, जो ट्रक पर परिवहन हेतु लोड किया गया था। इससे स्पष्ट है कि ट्रक जलने के पहले ही उसमें लदा हुआ माल ग्वालियर में उतार लिया गया था। इससे यह निश्चयात्मक निष्कर्ष भी निकलता है कि ट्रक वस्तुतः दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, बल्कि उसे एक सोची समझी रणनीति के तहत जलाया गया, ताकि घटना को दुर्घटना का रूप दिया जा सके और यह साबित किया जा सके कि ट्रक के साथ साथ उसमें लदा हुआ सारा माल भी जलकर नष्ट हो गया। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि ट्रक में लगभग 16 टन रिफाईन तेल लोड होना एक स्वीकृत तथ्य है। यदि वास्तव में इतने रिफाईन तेल के साथ ट्रक में आग लगी होती तो पूरा का पूरा तेल जलकर नष्ट हो जाना और उसका कोई भी अवशेष या चिन्ह घटना स्थल पर विद्यमान न होना, एक सर्वथा अस्वभाविक तथ्य होगा। यदि वास्तव में 16 टन रिफाईन ऑयल के साथ ट्रक में आग लगा होता तो घटना स्थल पर रिफाईन ऑयल जलने और उसके इधर उधर फैलने के चिन्ह अवश्य विद्यमान होते। इस तथ्य को किसी भी तरह से छुपाया नहीं जा सकता था। इस प्रकार उपरोक्त परिस्थितियां इस तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती हैं कि अभियुक्त हेमंत पाराशर ने ट्रक के जलने के संबंध में जो कथन



किया है और जो सूचना थाना को दिया है, वह पूर्णतः असत्य है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। घटना रात में घटित हुई है। यह भार अभियुक्तगण पर है कि घटना कैसे घटित हुई और ट्रक में किस प्रकार आग लगी। चूंकि अभियुक्त हेमंत पाराशर ने आग लगने का मिथ्या कथन किया है, इसलिए अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जायेगा और यह माना जावेगा कि अभियुक्तगण ने ही ट्रक में आग लगाकर नष्ट किया। ऐसा कृत्य उन्होंने आपराधिक न्यास भंग के आरोप से बचने और ट्रक का बीमा की राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से किया।

**15.** हेमंत पाराशर (ब.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि उसकी गाड़ी बीमित थी और उसने बीमा कंपनी के यहाँ दावा पेश किया है। किन्तु अभी बीमा कंपनी से दावा प्राप्त नहीं हुआ है। धारा 425 भारतीय दण्ड संहिता रिष्टि परिभाषित करती है। इस धारा के साथ उपाबद्ध दृष्टांत (ड) के अनुसार क एक पोत का बीमा कराने के पश्चात उसे इस आशय से कि बीमा करने वालों को नुकसान कारित करे, उसको स्वेच्छया संत्यक्त कर देता है। क ने रिष्टि की है। वर्तमान में मामले में अभियुक्त हेमंत पाराशर के कथन से यह स्पष्ट है कि उसका ट्रक बीमित था और उसने बीमा कंपनी के समक्ष दावा प्रस्तुत किया है। साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि उसने ट्रक को जान बूझकर जला दिया। इस प्रकार अभियुक्तगण ने धारा 435 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है। तदनुसार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 प्रमाणित पाया जाता है।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 :-**

**16.** धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार जो कोई यह जानते हुये, या यह विश्वास करने का कारण रखते हुये कि कोई अपराध किया गया है, उस अपराध के किये जाने के किसी साक्ष्य का विलोप इस आशय से कारित करेगा कि अपराधी को वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करे या उस आशय से उस अपराध से संबंधित कोई ऐसी इत्तिला देगा, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है।

**17.** प्रकरण में साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित पाया गया है कि अभियुक्तगण ने उन्हें न्यस्त 16 टन फॉर्च्यून रिफाईन ऑयल का दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया। बीमा कंपनी को क्षति कारित करने के आशय से ट्रक में आग लगाकर रिष्टि कारित करने का अपराध किया गया। स्वयं अभियुक्त हेमंत पाराशर ने कथन में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श डी.2 का आवेदन पत्र थाना

फूप में प्रस्तुत किया था, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि उसकी अचानक नींद लग गई और वायरिंग में आग लगने के कारण गाड़ी व उसमें रखा सामान जल गया। इस प्रकार अभियुक्त हेमंत पाराशर ने वैध दण्ड से प्रतिच्छादित करने के आशय से अपराध के संबंध में ऐसी इत्तिला पुलिस को दिया, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान व विश्वास था। इस प्रकार अभियुक्त हेमंत पाराशर के उपर धारा 201 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित पाया जाता है। अभियुक्त राकेश धाकड़ के विरुद्ध धारा 201 भा.द.स. का अपराध प्रमाणित नहीं पाया जाता है। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निराकरण किया जाता है।

18. उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियोजन अभियुक्त हेमंत पाराशर उर्फ छोटू के विरुद्ध धारा 406, 435, 201 भा.द.स. का आरोप और अभियुक्त राकेश धाकड़ के विरुद्ध धारा 406 व 435 भा.द.स. का आरोप प्रमाणित करने में सफल हुआ है। तदनुसार अभियुक्तगण को उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त राकेश धाकड़ को धारा 201 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्तगण के जमानत व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं। दण्ड पर सुने जाने के लिये निर्णय थोड़ी देर के लिये स्थगित किया गया।

(तारकेश्वर सिंह)

सत्र न्यायाधीश, भिण्ड

**पुनश्च :-**

20. दण्ड के प्रश्न पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये। अभियुक्तगण की ओर से निवेदन किया गया कि वे गरीब व्यक्ति हैं, उनके जीविकोपार्जन पर उनका पूरा परिवार आश्रित है। उनका यह प्रथम अपराध है। अतः दण्ड पर विचार करते हुये नरम रुख अपनाया जाये। इसके विपरीत लोक अभियोजक ने यह तर्क किया है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण ने उन्हें न्यस्त संपत्ति का दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग किया और बीमा कंपनी को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से ट्रक को जलाकर रिष्टि कारित किया। अतः अपराध की प्रकृति को देखते हुये उन्हें उदाहरणात्मक दण्ड दिया जाना समीचीन है।

21. उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति को देखते हुये अभियुक्तगण का परवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण युवक हैं और उनका परिवार उनके उपर आश्रित है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुये अभियुक्तगण को धारा 435 भा.द.स. के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से तथा धारा 406 भा.द.स. के अंतर्गत तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाना उचित पाया जाता है। अभियुक्त हेमंत पाराशर को धारा 201 भा.द.स. के अंतर्गत छः माह के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया जाना उचित पाया जाता है। अतः विचारोपरांत अभियुक्तगण को निम्न सारिणी अनुसार दण्डादिष्ट किया जाता है :-

| क्रं. | अभियुक्त का नाम | भा.द.स. की धारा   | कारावास की सश्रम सजा           | अर्थदण्ड                         | अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में |
|-------|-----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1.    | हेमंत पाराशर    | 406<br>435<br>201 | तीन वर्ष<br>तीन वर्ष<br>छः माह | 10,000 / रु.<br>5,000 / रु.<br>— | छः माह<br>तीन माह<br>—    |
| 2.    | राकेश धाकड़     | 406<br>435        | तीन वर्ष<br>तीन वर्ष           | 10,000 / रु.<br>5,000 / रु.      | छः माह<br>तीन माह         |

**22.** अभियुक्तगण को दी गई सभी सजायें साथ साथ भुगताई जायेंगी। अभियुक्त हेमंत पाराशर दिनांक 05.02.2013 से 02.05.2013 तक और अभियुक्त राकेश धाकड़ दिनांक 05.02.2013 से 02.05.2013 तक न्यायिक निरोध में रहे हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि कारावास की सजा की अवधि में समायोजित की जाये। धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र पृथक से तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

**23.** जब्तशुदा ढाई लाख रुपये और आठ जार फॉर्च्यून रिफाईन तेल अपील अवधि पश्चात कृष्ण कुमार कंवर पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 44 साल, निवासी गांधीधाम, गुजरात को वापस किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

**24.** प्रकरण में एक अभियुक्त उदयप्रताप सिंह चौहान अभी फरार है। इस कारण अभिलेख को सुरक्षित रखा जावे और उक्त आशय की टीप प्रकरण के शीर्ष पृष्ठ पर अंकित की जावे।

दिनांक : 28.01.2017

स्थान : भिण्ड

(तारकेश्वर सिंह)  
सत्र न्यायाधीश, भिण्ड